इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020—भाद्र 13, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 5 अगस्त 2020

क्र. 8558-SC-1-2020.—श्रीमती सुनीता निरपत सिंह कुशवाह, पार्षद, वार्ड क्र. 08, नगरपालिका विदिशा का त्याग-पत्र मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 40(1) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है. प्राप्त त्याग-पत्र की वास्तविकता के संबंध में धारा 40 की उपधारा 2(एक) के अन्तर्गत समाधान होने से श्रीमती सुनीता निरपत सिंह कुशवाह, पार्षद, वार्ड क्र. 08 का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए आकस्मिक रिक्ति अधिसूचित करता हूं.

पंकज जैन, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.